न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारीः अरविन्द शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 08/2026 FSSA

1.सरकार जरिये महेश कुमार सैनी खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण दौसा।

— आवेदक—

बनाम

1.श्री लोकेश सिंह पुत्र श्री विजय सिंह मैसर्स कल्याणवत सरस पार्लर पता—बालाजी मोड, मीना सीमला तहसील—सिकराय, जिला दौसा ।

—अभियुक्त—

(जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011)

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।

: अप्रार्थी अभियुक्त उपस्थित।

: श्री अशोक बैरवा अधिवक्ता अप्रार्थी उपस्थित।

—::आदेश::— दिनांकः—18.02.2026

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 08.07.2025 को दोपहर 01.00 बजे मैसर्सः कल्याणवत सरस पार्लर पताः बालाजी मोड, मीना सीमला तहसील—सिकराय, जिला दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय उक्त फर्म पर विक्रेता श्री लोकेश सिंह पुत्र श्री विजय सिंह उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त फर्म का मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ पंजीकरण दिखाने के लिए कहां, तो उसने खाद्य पदार्थ पंजीकरण होना जाहिर किया। निरीक्षण के समय विक्रेता की उक्त फर्म पर डि फ्रिज मे प्लास्टीक की पॉलीथीन में लगभग 08 किलोग्राम विक्रय हेतु खाद्य पदार्थ पनीर लूज (Paneer Loose) रखा हुआ था में मिलावट का शक होने पर नमूने की जॉच हेतु 1 किलोग्राम खाद्य पदार्थ पनीर लूज (Paneer Loose) खरीदा। जिनकी कीमत 260 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया। नमूने के लिए खरीदशुदा 1 किलोग्राम खाद्य पदार्थ पनीर लूज (Paneer Loose) को हिला—मिलाकर मैश कर 4 साफ, सूखी, खाली प्लास्टिक बोतलो में बराबर—बराबर डालकर प्रत्येक बोतल में 40 प्रतिशत फार्मेलिन की 20—20 बूंदे डालकर प्रत्येक बोतल पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलो पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कोड एवं क्रमांक एजी 4804 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबार कर्ता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये चारो नमूना भागो को अलग अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप नंबर ए जी 4804 नियमानुसार चारो नमूना भागो पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये की पेपर स्लीप व रैपर पेपर दोनो पर आवे चारो नमूना भागो पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बंद चारो नमूना मागो को अपने जाब्ते में लिया। आवेदक ने मौके पर फार्म न. 5 ए की दो प्रतियाँ तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ. बी.ओ. को देकर उसकी रसीद फार्म न. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे विक्रेता व गवाहान को पढ़कर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्टेट दौसा

Scanned with OKEN Scanner

हस्ताक्षर कर एफबीओ व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। आवेदक ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म न. 6 की एक प्रति व नमूने की एक सील बन्द पैकिट एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म न. 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बन्द पैकिट व फार्म न. 6 का सील बन्द लिफाफा श्री रामकेश गुर्जर RHG 371 दौसा मुख्यालय द्वारा दिनांक 09.07.2025 को खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अलवर के यहां जमा करवाये। नमूने के दो सील बन्द पैकिट व फार्म न. 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 09.07.2025 को डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने का चतुर्थ सील बन्द पैकिट व फार्म नं. 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 09.07.2025 को डी.ओ. व सीएमएचओ को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। उक्त खाद्य पदार्थ पनीर लूज (Paneer Loose) के नमूने की खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/479/एक्ट/2025/484 दिनांक 21.07.2025 के अनुसार अनसेफ स्तर (Unsafe) का पाया गया है व निदेशक निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला मैसूर की जांच रिपोर्ट संख्या 1488F/FSSA/2025 दिनांक 07.11.2025 के अनुसार अमानक स्तर (Substandard) का पाया गया है डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा के जरिये आवेदक को प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ पनीर लूज (Paneer Loose) का नमूना अमानक स्तर (Substandard) पाया गया है। अभियुक्त ने एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(II) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना अधिनियम की धारा 51 एफएसएसए 2006 में वर्णित है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध न्याय निर्णय आवेदन पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। अप्रार्थी अभियुक्त एवं अधिवक्ता अप्रार्थी उपस्थित हुए। अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी अभियुक्त की बहस सुनी गयी। बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ पनीर लूज (Paneer Loose) के नमूने की खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/479/एक्ट/2025/484 दिनांक 21.07.2025 के नमूने की जांच में B.R. Reading of extracted fat at 40°C Results 49.4 आयी है जो निर्धारित मानकों के अनुसार 40.0 से 44.0(Milk Fat) तक होनी चाहिए तथा इस कारण से उक्त खाद्य पदार्थ पनीर लूज (Paneer Loose) का नमूना अनसेफ (Unsafe) स्तर का पाया गया है तथा निदेशक निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला मैसूर की जांच रिपोर्ट संख्या 1488F/FSSA/2025 दिनांक 07.11.2025 के नमूने की जांच में Milk Fat % (on dry wt basis) Method of Test used FSSAI 01-044:2022 Result 47.69 आयी है जो निर्धारित मानकों के अनुसार Not less than 50.0 होनी चाहिए। इस कारण से उक्त खाद्य पदार्थ पनीर लूज (Paneer Loose) का नमूना अमानक (Substandard) स्तर का पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त ने अमानक (Substandard) स्तर के खाद्य पदार्थ पनीर लूज (Paneer Loose) का विक्रय कर एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(II) का उल्लंघन किया है। अतः धारा 51 एफएसएसए 2006 में वर्णित प्रावधानो के तहत अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि प्रार्थी की थडीनुमा मैसर्स कल्याणवत सरस पार्लर की दुकान है। प्रार्थी उक्त दुकान पर गुटखा, बीडी व बच्चों की चॉकलेट, बिस्किट के अलावा सरस दूध व सरस पनीर आदि सामानों का विक्रय कर अपना व अपने परिवार का पालना पोषण करता चला आ रहा है। प्रार्थी के पास दुकान पर करीब 8 किलोग्राम पनीर रखा था जिसमें से खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने 1 किलोग्राम पनीर (Paneer) खरीदा। उक्त खाद्य पदार्थ पनीर

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

(Paneer) बाजार से खरीदकर लाकर अपनी दुकान पर बेचता है। प्रार्थी किसी प्रकार का पनीर का उत्पादन व निर्माण नही करता है। प्रार्थी द्वारा उक्त पनीर में किसी प्रकार की कोईं मिलावट नही की गई है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी के विरूद्ध की गयी कार्यवाही को निरस्त फरमाने की कृपा करें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात निदेशक निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला मैसूर की जांच रिपोर्ट संख्या 1488F/FSSA/2025 दिनांक 07.11.2025 के नमूने की जांच में उक्त खाद्य पदार्थ पनीर लूज (Paneer Loose) का नमूना अमानक (Substandard) स्तर का पाया गया है। उक्त नमूना निर्धारित शुद्धता मानको के अनुरूप नहीं होने से एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(II) का उल्लंघन है। जिसका जुर्माना अधिनियम की धारा 51 एफएसएसए 2006 में वर्णित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अमानक (SubStandard) स्तर के खाद्य पदार्थ पनीर लूज (Paneer Loose) का विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी लोकेश सिंह पुत्र श्री विजय सिंह मैसर्स कल्याणवत सरस पार्लर पता–बालाजी मोड, मीना सीमला तहसील–सिकराय, जिला दौसा(राज0) पर 10,000/–रूपये (अक्षरे दस हजार रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक 18.02.2026 के एक माह के अन्दर–अन्दर खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निर्धारित (Chief Medical & Health Officer Dausa) के मद 0210–04–800–03–00 में जमा कराकर चालान की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 18.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/2/26

(अरविन्द शर्मा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा
दिनांकः– 18 .02.2026

क्रमांकः FSSA/26/47-49
प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज. जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री लोकेश सिंह पुत्र श्री विजय सिंह मैसर्स कल्याणवत सरस पार्लर पता–बालाजी मोड, मीना सीमला तहसील–सिकराय, जिला दौसा।

18/2/26

(अरविन्द शर्मा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

Scanned with OKEN Scanner